Industrial Development of Backward Districts of Punjab

1513. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether any schemes and programmes have been submitted for ensuring accelerated industrial development of the backward districts of Punjab during the last year:

(b) if so,. what are the details thereof and the Central assistance, if any, sought therefore;

(c) whether the schemes have been approved by Government; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) to (d) Under the Central Government's Scheme of "Integrated Infrastructural Development Centres' for Rural/Backward Areas" a proposed submitted by the Punjab State Government has been approved for setting up a Mini-Growth Centre at Tanda in District Hoshiarpur on 50 Acres of land at the total estimated cost of Rs. 492 lakhs. The land for this project will be provided by the Punjab Government. The development cost of the project has been estimated at Rs. 280 lakhs which will be financed by the Government of India by way of grant amounting to Rs. 112 lakhs (40%) and term-loan from Small Industrial Development Bank of India (SIDBI) amounting to Rs. 168 lakhs (60%). Out of the sanctioned amount. Government of India have released a grant of Rs. 10 lakhs and SIDBI disbursed a term-loan of Rs. 15 lakhs during 1994-95.

गुजरात में बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

1514. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात में बीड़ी श्रमिकों की नई रोजगार दक्षताओं हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय नवीकरण निधि द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार के साथ प्रारम्भिक बातचीत कर ली गई है; और

(घ) प्रस्तावित बीड़ी कानून के परिणामस्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा महसूस किया जाता है कि प्रस्तावित विधान वर्तमान में बीड़ी उद्योग में रोजगार स्थिति को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

सुपर बाजार की विस्तार योजना की लागत

1515. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुपर बाजार सहकारी उपभोक्ता समिति की स्थापना और विस्तार की मूल लागत कितनी थी;

(ख) सुपर बाजार की विस्तार योजना की संशोधित लागत कितनी है;

(ग) क्या सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने संशोधित लागत की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा सुपर बाजार के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) सुपर बाजार ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1966 में जब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी आरम्भिक पूंजीगत लागत 33 लाख रुपये थी।

सुपर बाजार का निरंतर विस्तार करने का कार्यक्रम है और पिछले तीन दशकों के दौरान, इसने कई क्षेत्रीय वितरण केन्द्र तथा लघु शाखाएं खोली हैं। एक क्षेत्रीय वितरण केन्द्र स्थापित करने में 20 से 25 लाख रुपए